न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2024/24

मुकदमा नम्बर 24/2024 दायर दिनांक : 01–03–2024

महावीर प्रसाद पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी नवलगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

– आवेदक

– बनाम –

तहसीलदार नवलगढ़ (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदक

वकील आवेदक : – मोरवी जांगीड़

वकील अनावेदक :– पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 24–05–2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 0.61 हैक्टर स्थित है, जिसकी खातेदारी आवेदक व अन्य सहखातेदारों के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 692 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्णित खसरा नम्बरों में खातेदारी व किसी के नाम दर्ज खातेदारी का कोई विवाद नही है ना ही किसी का नाम या खातेदारी की दुरूस्ती चाही है। वर्णित प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 692, 696 के नक्शा ट्रेश्स मे दुरूस्ती चाही गई है।

वाके ग्राम नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 को 1979–80 के नक्शा लठ्ठा में सही रूप से आवेदक की खातेदारी में जहां स्थित था वहीं पर दर्ज रहा है तथा खसरा नम्बर 692 जे मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी की खातेदारी में दर्ज है उसकी किस्म गैर मुमकीन रास्ता है और मोके पर भी आम रास्ता चालू है, परन्तु सन् 2018 में पुनः नई सर्वे सीट तैयार की गई यानिकी सेग्रीगेशन के द्वारा राजस्व रिकार्ड को तैयार करते वक्त खसरा नम्बर 696 रकबा 0.61 हैक्टर को नई सर्वे शीट में रास्ते की जगह पर अंकन कर दिया। इसी प्रकार रास्ते के खसरा नम्बर 692 के स्थान पर खसरा नम्बर 696 दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दर्ज हुआ है जिसका दुरूस्त किया जाकर पूर्व की तरह सर्वे शीट नक्शा लट्ठा 1979–80 के मुताबिक खसरा नम्बर 696 को यथास्थान आवेदक की खातेदारी के अनुसार तथा खसरा नम्बर 692 गैर मुमकीन रास्ते के स्थान पर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 696 का नक्शा ट्रेश आवेदक द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 15.02.2024 को प्राप्त करने पर व राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी की नकले प्राप्त करने पर गलत इन्द्राज का इल्म हुआ।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाके ग्राम नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 692, 696 के नक्शा लट्ठा 1979–80 में दर्ज अनुसार दुरूस्त किया जावे यानिकी सेक्रीगेशन से पूर्व नक्शा अनुसार दोनो खसरा नम्बरान को सही रूप से दर्ज कर वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्त किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदक जारी की गई। अनावेदक की ओर से राजपैराकार उपस्थित। राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि कस्बा नवलगढ का खसरा नम्बर 692 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म गै.मुमकीन मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड है नोट नम्बर 12 से दिनांक 10.082022 खसरा नम्बर 692 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के मुकदमा नम्बर 78/22 दिनांक 21.07.2022 में स्थगन प्रभावी है। खसरा नम्बर 696 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम उषा देवी पुत्री मांगू 1/56 हिस्सा महावीर प्रसाद पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/4 वगैरह दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में सर्वे शीट एवं नक्शा लट्ठा में जांच करने से पाया कि उक्त खसरा नम्बर सेग्रीकेशन सर्वेशीट बनने के दौरान प्रतिस्थापित हुए है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील आवेदक एवं राज पैरोकार सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 692, 696 के नक्शा लट्ठा 1979–80 में दर्ज अनुसार दुरूस्त किया जावे यानिकी सेक्रीगेशन से पूर्व नक्शा अनुसार दोनो खसरा नम्बरान को सही रूप से दर्ज कर वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्त किया जावे।

राजपैरोकार द्वारा दौरान बहस जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वर्तमान में सर्वे शीट एवं नक्शा लट्ठा में जांच करने से पाया कि उक्त खसरा नम्बर सेग्रीकेशन सर्वेशीट बनने के दौरान प्रतिस्थापित होना स्वीकार किया। पैरोकार राज ने नक्शा दुरूस्ती करने हेतु कोई राजकीय हित प्रभावित नही होने पर दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किय गया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यो एवं बहस के अभिकथनो के से स्पष्ट है कि ग्राम नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 0.61 हैक्टर स्थित है जिसकी खातेदारी आवेदक व अन्य सहखातेदारों के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 692 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 को 1979–80 के नक्शा लठ्ठा में सही रूप से आवेदक की खातेदारी में जहां स्थित था वहीं पर दर्ज रहा है तथा खसरा नम्बर 692 जो मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी की खातेदारी में दर्ज है उसकी किस्म गैर मुमकीन रास्ता है और मोके पर भी आम रास्ता चालू है, परन्तु सन् 2018 में पुनः नई सर्वे सीट तैयार की गई यानिकी सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नम्बर 696 रकबा 0.61 हैक्टर को नई सर्वे शीट में रास्ते की जगह पर अंकन कर दिया। इसी प्रकार रास्ते के खसरा नम्बर 692 के स्थान पर खसरा नम्बर 696 दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज गलत रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से दर्ज किया गया है जिसको दुरूस्त कर पूर्व की सर्वेशीट नक्शा लट्ठा 1979–80 के मुताबिक खसरा नम्बर 696 को यथास्थान आवेदक की खातेदारी के अनुसार तथा खसरा नम्बर 692 गैर मुमकीन रास्ते के स्थान पर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती किया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned with CamScanner

जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। विवादित खसरा नम्बरों में खातेदारी व किसी के नाम दर्ज खातेदारी का कोई विवाद नही है ना ही किसी का नाम या खातेदारी की दुरूस्ती चाही है के पूर्व की भांति नक्शा दुरूस्ती चाही गई है। हालांकि नक्शा गलत होने से कब्जे कोई फर्क नही पड़ा है, परन्तु राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। आवेदक को अपनी काश्त की भूमि को दुरूस्त करवाने का पूर्ण हक अधिकार है। आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से पूर्णतया साबित पाया जाता है। आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

लिहाजा आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 692, 696 के नक्शा लट्ठा 1979–80 में दर्ज अनुसार व सेक्रीगेशन से पूर्व नक्शे अनुसार दोनो खसरा नम्बरान को सही रूप से दर्ज कर वर्तमान नक्शा शीट में दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[redacted] (R.A.S.) [redacted]
उपखण्ड [redacted]
नवलगढ़

Scanned with CamScanner